जम्मू और कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक

724. **श्री अजीत जोगी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू और कश्मीर में जून, 1992 में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई ; क्या-क्या सुझाव दिए गए और क्या-क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) स्थिति की समीक्षा करने के लिए, गृह मंत्री ने 30 जून से 2 जुलाई, 1992 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर का दौरा किया । उन्होंने, कानून और व्यवस्था, विकास और आर्थिक गतिविधियों, आपूर्ति की स्थिति तथा प्रशासनिक मामलों के संबंध में वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सम्बद्ध मंत्रालयों से, समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था ।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों को गिरफ्तार और मुक्त किया जाना

725. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में जम्मू और कश्मीर में अनेक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान कुल कितने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, कितने उग्रवादियों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत बंदी बनाया गया तथा कितने उग्रवादी मुठभेड़ों में मारे गए ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अवधि के दौरान कुछ उग्रवादियों को मुक्त भी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उग्रवादियों की संख्या क्या है और कितने उग्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया तथा न्यायालयों द्वारा दंडित किया गया ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1990-94 की अवधि के दौरान 11616 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । इनमें से 6216 व्यक्तियों को जन सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया गया था । इस अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियानों में 4596 आतंकवादी मारे गए।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार निरुद्ध किए गए व्यक्तियों में से 8400 को, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अधीन, सक्षम न्यायालयों द्वारा जमानत के आदेशों पर, पैरोल पर, निरुद्ध रखे जाने की अवधी समाप्त होने/निरस्त कर दिए जाने और राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा और सिफारिशों के आधार पर रिहा कर दिया गया ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

Killings in Jammu and Kashmir

726. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of civilians, para military personnel and extremists killed in Kashmir during 1993 and 1994 month-wise;

(b) the details of steps taken by Government to improve law and order situation in Kashmir, and